

प्रपत्र-497

भाग 1

पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिये प्रार्थना-पत्र

(फार्म भरने से पूर्व भाग 6 में उल्लिखित निर्देश पढ़ लिये जायं)

सेवा में,

..... (कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

1-नाम

2-पिता/पति का नाम

3-सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता :-

(क) स्थायी निवास-स्थान

(ख) पत्र-व्यवहार का पता

4-जन्म-तिथि

5-सेवा प्रारम्भ करने की तिथि

6-सेवानिवृत्ति की तिथि

7-अन्तिम पद, जहां से सेवानिवृत्त हुए, का पदनाम
तथा कार्यालय/विभाग का नाम एवं पता

8-मृत्यु होने की दशा में नामनी का नाम एवं पता जिसे
जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाय

9-पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका
राशिकरण अपेक्षित है

10-भुगतान जिस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं

II-परिवार का विवरण :—

क्रम-संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म-तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

भवदीय/भवदीया,

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेन्शन/सेवा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भलीभाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होंगी। मैं यहाँ देता/देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूंगा/दूंगी।

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये

(यथासम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए)

जहाँ से सेवानिवृत्त हुए।

1. नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

2. नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____


पता _____

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

भाग 3 प्रार्थी का विवरण

(स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रति में यह भाग दो प्रतियों में भरा जायगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने अभिलेख में इस फार्म की एक प्रति ही भरवायेंगे। प्रदेश के बाहर पेन्शन प्राप्त करने की स्थिति में अतिरिक्त दोनों फार्मों में भाग 3 की एक ही प्रतिलिपि रखी जायेगी।)

1—सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार का सत्यापित संयुक्त फोटो (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो)



2—सरकारी सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम

3—सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध

4—नमूने के हस्ताक्षर :—

(क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)

1 _____
2 _____
3 _____

(ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)

1 _____
2 _____
3 _____

5—यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें हाथ के अंगूठे एवं उंगलियों के निशान:—

(क) सरकारी सेवक के

(ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के

6—वैयक्तिक पहचान :—

(क) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेन्शनर की ऊंचाई

(ख) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेन्शनर के पहचान चिह्न

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर, नाम तथा

पदनाम (सील सहित)

भाग 4

सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम _____

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायें)	पद का नाम, जिस पर कार्य किया (स्थान सहित/ अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति एवम् व्यवधान की अवधियां भी इंगित की जायें)	स्तम्भ-3 में दर्शायी गयी अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशनयुक्त नहीं है, तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर _____

(कार्यालय/अधक्ष का नाम एवं पता)

13. पेन्शन का आगणन _____
14. सर्वसत ग्रेच्युटी का आगणन (पेन्शन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेन्शन के स्थान पर अनुमन्य) _____
15. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन _____
16. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो) _____
17. शुद्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि _____
18. पारिवारिक पेन्शन का आगणन _____
- (क) सामान्य दर _____
- (ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक _____ से रु० _____ प्रतिमाह तथा दिनांक _____ से रु० _____ प्रतिमाह (सामान्य दर)
19. पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन प्रारम्भ होने का दिनांक _____
20. पेन्शन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है _____
21. राशियुक्त मूल्य का आगणन _____
22. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेन्शन की धनराशि _____
23. कोषागार का नाम जहां से पेन्शन/सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी/ राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे _____ (भुगतान के नमूने के साथ)
24. अनन्तिम पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन (यदि कोई स्वीकृत की गई हो) _____
25. अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की गई हो) _____
26. पेन्शन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक _____ (यह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :-
- (1) भवन निर्माण अग्रिम में से रु० _____ की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (2) मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु० _____ की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु० _____ की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक _____ तक रु० _____ की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक _____ तक रु० _____ और देना शेष रह जायेगा।
- (5) आडिट के परिणामस्वरूप रु० _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
- (6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रु० _____ को धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
- (7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) रु० _____ की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
- (8) श्री _____ (सरकारी सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक/वैनायिक अथवा प्रशासनाधिकरण जांच लम्बित नहीं है / है।
- (यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को दिनीय हार्जि पहुँचाये गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाय।)

(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

तथा पदनाम)

संलग्नक-1

THIS DEED OF INDEMNITY, is made on the _____ day of _____ 19____
 corresponding to Saka Samvat the _____ day of _____ 19____
 by Sri _____ s/o _____
 resident of _____ (Bounden) IN FAVOUR OF THE
 GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (called "the Governor") _____

Whereas :

1. The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttar Pradesh (called "the Government") as _____ (designation) in _____
 _____ (name of office) _____

2. The Bounden above named has retired/is due for retirement on _____

3. A "No demand certificate" is required to be issued in favour of the Bounden by _____
 _____ before sanction of pension, gratuity, etc. to the Bounden but the said certificate
 could not be issued so far and the scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

4. The Government is willing to sanction pension and gratuity etc., to the Bounden on condition
 that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government
 from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the Bounden
 within a period of two years from the date of retirement of the Bounden. Now this deed witness--

(1) In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity, etc. to the bounden
 before issue of "No demand certificate" in his favour, the Bounden hereby covenants with the Governor that
 the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered, within a period
 of two years from the date of retirement of the Bounden, to be due against him.

(2) Any amount due under this deed may, on the certificate of _____ which shall be
 final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day
 and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witnesses :

(1) _____

Signed by :

Address _____

(2) _____

Bounden

Address _____